

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(गोपनीय शाखा)

संस्थापना आदेश:- 433

दिनांक:- 04/04/18

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा., निम्नलिखित लेखाधिकारियों को उप मुख्य लेखाधिकारी के पद पर (30% पेशेवर योग्य कोटा के अन्तर्गत) सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में पदोन्नत करते हैं (पूर्व संशोधित 15600-39100/-रु. के पे बैंड में 6600/- रु. के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग):

क्रम सं०	अधिकारी का नाम सर्वश्री / श्रीमती	तैनाती का वर्तमान स्थान
1/124	नरेश चन्द्र शर्मा सुपुत्र श्री बालक राम	लेखाधिकारी (एस.एफ.एस.)
2/134	बालमुकुन्द तिवारी सुपुत्र श्री के.डी. तिवारी	लेखाधिकारी (लेखा) मुख्य


2. यदि उपरोक्त अधिकारियों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.स्कीम के अंतर्गत 15600-39100/- रु. के वेतनमान में 6600/- रु. के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जो कि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 11 है) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के आधार पर निर्धारित होगा। उनके वेतन का निर्धारण एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार निम्न ग्रेड में वेतन-वृद्धि कि तिथि से वेतन निर्धारण का विकल्प प्रयोग कर सकते हैं।

3. पदोन्नति के परिणामस्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित उप मुख्य लेखाधिकारियों की तैनाती / स्थानान्तरण को निम्नानुसार अनुमोदित किया है:-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम सर्वश्री/श्रीमती	स्थान से	स्थान पर
1/124	नरेश चन्द्र शर्मा सुपुत्र श्री बालक राम	पदोन्नति पर	उप मुख्य लेखाधिकारी (द्वारका) के साथ लेखाधिकारी (एस.एफ.एस.) व एन.पी.आर.एस. (एस.जैड) का अतिरिक्त कार्यभार।
2/134	बालमुकुन्द तिवारी सुपुत्र श्री के.डी. तिवारी	पदोन्नति पर	उप मुख्य लेखाधिकारी (चिकित्सा) के साथ लेखाधिकारी (रोकड़) मुख्य का अतिरिक्त कार्यभार।

4. वरिष्ठ लेखाधिकारी के अतिरिक्त कार्यभार के लिए, अधिकारी सीधे मुख्य लेखाधिकारी / वित्त सलाहकार (आवास) / निदेशक (एल.सी.) को मामले अनुसार रिपोर्ट करेंगे।

5. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति मुख्य लेखाधिकारी एवं उप निदेशक (कार्मिक)-1 को भेजते हुए अपने संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।


(तेजपाल सिंह)

उप निदेशक (गोपनीय शाखा)

दिनांक:- 04/04/18

सं०-एफ.10(34)2018/सी.सी./ 439
प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को सूचनार्थ।
2. प्रधान आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को सूचनार्थ।
3. आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को सूचनार्थ।
4. आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
5. मुख्य लेखाधिकारी, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
6. मुख्य अभियन्ता (द्वारका), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
7. वित्त सलाहकार आवास, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
8. निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 2 / सतर्कता / प्रणाली / वित्त / एल.सी., दि.वि.प्रा.।
9. उप निदेशक (प्रणाली), दि.वि.प्रा. की वेब साइट पर डालने हेतु (About us-> Personnel-> Promotions 2018)
10. उप निदेशक (कार्मिक)-1 / सतर्कता (प्रशा.) / एस.सी. एंड एस.टी.सैल, दि.वि.प्रा.।
11. उप मुख्य लेखाधिकारी (द्वारका) / (चिकित्सा), दि.वि.प्रा.।
12. संबंधित लेखाधिकारी (संस्था), राजपत्रित / आवास / सम्बन्धित (सी.ए.यू.), दि.वि.प्रा.।

१३. सहायक निदेशक (कार्मिक)-१, पी.आई.एम.एस./ (गोपनीय कक्ष)-२, दि.वि.प्रा. ।
१४. उक्त उल्लिखित अधिकारी ।
१५. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल ।

प्रा. सं. मे. सं. ५/५/२०१८
सहायक निदेशक (गोपनीय शाखा)



कार्मिक शाखा
Personnel Branch